

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-109/2022  
GCMS CASE NO-2022/109

दायरा दिनांक 06.10.2022

प्रकरण संख्या-108/2022  
GCMS CASE NO-2022/108

दायरा दिनांक 06.10.2022

राजूदेवी पुत्री ओमप्रकाश धर्मपत्नी पवन कुमार पुत्र तारूराम जाति जाट निवासी रामनाथ जी कुटिया के पीछे, वार्ड न. 2/26 नया, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

--अपीलांत

बनाम

- 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़
- 2 विमलादेवी धर्मपत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी संघर तहसील सूरतगढ़
- 3 बलराम उर्फ सुरेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी संघर तहसील सूरतगढ़
- 4 सुभाष चन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी संघर तहसील सूरतगढ़
- 5 संदीप कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी संघर तहसील सूरतगढ़
- 6 श्रीमती सुमन पुत्री ओमप्रकाश धर्मपत्नी मोनूराम जाति जाट निवासी बीड़ाबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
- 7 श्रीमती सरस्वती देवी पुत्री ओमप्रकाश धर्मपत्नी महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी रामनाथ जी कुटिया के पीछे वार्ड न. 2 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
- 8 व्यवस्थापक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा एडीबी सूरतगढ़ वर्तमान स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा एडीबी सूरतगढ़

--रेस्पोंडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-

1. श्री भगवानदत्त शर्मा, अधिवक्ता अपीलांत (दोनों अपील में)
2. श्री सुरेन्द्र सुथार, अधि० रेस्पों. सं. 5(अपील सं.108/22)व रेस्पों.स. 3ता 5 (अपील सं.109/22)

--: निर्णय :-

दिनांक : 06/11/2024

प्रकरण संख्या 109/2022 व प्रकरण संख्या 108/2022 के पक्षकारान एवं विवादित भूमि एक ही होने के कारण दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ पारित किया जा रहा है। प्रकरण संख्या 109/2022 में अपीलांत ने जरिये निवेदन किया है कि अपीलांत के पिता एवं रेस्पोंडेंट संख्या 2 ता 7 के पिता/पति ओमप्रकाश पुत्र इमीलाल जाति जाट के नाम से जैर अपील भूमि यथा चक 9 एसजीआर तहसील सूरतगढ़ के पत्थर न. 24/309 (37) के किला न. 8/1 में 0.114 है० नहरी, 19/1 में 0.013 है० नहरी कुल 0.127 है० नहरी, पत्थर न. 25/310 (43) के किला न. 3/1 में 0.228 है० नहरी, 3/2 में 0.025 है० खाला, 4/1 में 0.228 है० नहरी, 4/2 में 0.025 है० खाला, 7-8/0.506 है० नहरी, 12/1 में 0.114 है० नहरी, 13-14 में 0.506 है०, 15/2 में 0.038 है० नहरी, 16/1 में 0.228 है० नहरी, 16/2 में 0.025 है० खाला, 17 से 19 में 0.759 है० नहरी, 22 से 24 में 0.759 है०, 25/1 में 0.228 है० नहरी, 25/2 में 0.025 है० खाला कुल 3.694 है० कुल 3.821 है० नहरी मय खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। रेस्पोंडेंट संख्या 3 सुरेन्द्र ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर ओमप्रकाश द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 04.01.2021 के आधार पर रेस्पोंडेंट संख्या 3 ता 5 के नाम से विरारतन इंतकाल दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक ओमप्रकाश के सभी जायज वारिसान को बिना नोटिस तामील करवाये बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये सीधे ही सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। जबकि पहले सभी वारिसों की सूची प्राप्त कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सूरतगढ़(श्री गंगानगर)



भक्तिगत तलवी करनी थी। बाद में पंजीकृत तलवी व यह भी ना होने पर सार्वजनिक नोटिस जारी होना था। सार्वजनिक अखबार तलवी हिन्दी व अंग्रेजी के राष्ट्रीय अखबार से होनी थी जो मात्र क्षेत्रीय समाचार से करवाई गई है। पक्षकारों के मध्य सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुरतगढ के समक्ष वाद कुल भूमि सहदायी बताते हुए अपने हकूक की घोषणा हेतु अपीलान्ट ने प्रस्तुत किया हुआ था, जो विचाराधीन होते हुए व रेरपोडेंट को बजरिये पंजीकृत तलवी का ज्ञान होते हुए इस तथ्य को छुपाकर अपीलाधीन आदेश प्राप्त कर लिया। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णयों के अनुसार अधिकारों की घोषणा हेतु वाद लंबित होने पर नामांतरण कार्यवाही लंबित रखने व नामांतरण न्यायालय के आदेश सही अंकित करने के न्याय निर्णय है। अपीलाधीन आदेश न्याय विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। अपीलान्ट द्वारा इस विषय में प्रार्थना पत्र 212 आरटीए भी प्रस्तुत किया गया था। इसके प्रभाव को कम करने हेतु नामांतरण तस्दीक किया गया जो निरस्ती योग्य है। जैर अपील भूमि सहदायी नहीं थी जिसका वसीयतकर्ता को वसीयत करने का अधिकार नहीं था। वाद चलन होने से वसीयत हस्तांतरण धारा 52 हस्तांतरण अधिनियम के विरुद्ध होने से अपीलनीय है। वसीयत कानून अनुसार सिद्ध नहीं है। वसीयतकर्ता वसीयत के समय बीमार, सुध बुध खोया व्यक्ति था। उक्त वसीयत पंजीबद्ध भी नहीं थी। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील संख्या 109/2022 स्वीकार करते अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2021 निरस्त किया जावे तथा अपील संख्या 108/2022 स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 24.09.2021 की पालना में दर्ज अपीलाधीन इंतकाल संख्या 611 स्वीकृत दिनांक 20.06.2022 निरस्त किया जावे।

उक्त दोनो अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेरपोडेंटगण को जरिये सम्मन तलब किया किया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानदत्त शर्मा उपरिथत हुए। रेरपोडेंट संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सुथार हाजिर। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

सर्वप्रथम दोनो अपीलों के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट प्रकरण में प्रभावी एवं हितबद्ध पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया तथा ना पक्षकार बनाया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अनुमति प्रदान करे।

वकील रेरपोडेंट संख्या 5 ने उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए कहा की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा अब इस अपील में भी अपीलान्ट हितबद्ध नहीं है। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाकर अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर खारिज की जावे।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अलवोकन करने से पाया कि जैर प्रकरण भूमि अपीलान्ट के पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, जिसमें अपीलान्ट का हित निहित है। वकील रेरपोडेंट संख्या 5 द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु कोई ठोस तथ्य पेश नहीं किये है। दोनो अपीलों के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अनुमति प्रदान की जाती है।

तत्पश्चात दोनो अपीलों के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलान्ट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। जैर अपील आदेश अपीलान्ट के पीठ के पीछे पारित किया गया है। अपीलान्ट को जैर अपील आदेश जानकारी 01.08.2022 को हुई। जानकारी दिनांक से बिना किसी देरी के अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा जानबूझ कर अपील देरी से पेश नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करे।

रेरपोडेंट संख्या 5 ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए कथन किया कि यह अपील मियाद बाहर पेश की है जो स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज किया जाकर अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। धीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलान्ट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। वकील रेरपोडेंट

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सूरत गढ़ (मानगर)

आ 5 द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु कोई ठोस तथ्य पेश नहीं किये है। प्रार्थना पत्र में केत कारण भी सन्तोपजनक है। अतः दोनो अपीलों के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 याद स्वीकार किये किये जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाता है तथा दोनों पीले अन्दर गियार शुमार की जाती है।


तत्पश्चात गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस पील गीगों में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टात आरबीजे 2016 ज 547, आरबीजे 2017 पेज 419, आरआरडी 1997 पेज 287, डीएनजे रेव्यू 2022 पेज171 पेश कये।

वकील रेषपोडेंट संख्या 5 ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण जांच कर एवं विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलांट को जरिये सार्वजनिक सूचना तलव किया गया था परन्तु अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित ही नहीं हुए। उक्त दोनों अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत एवं नियमानुसार ही पारित किये गये है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के दोनो आदेश यथावत रखे जाने के आदेश फरमावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं दोनो पत्रावलियों का गहनता से अवलोकन किया। ओमप्रकाश पुत्र इमीलाल द्वारा दिनांक 04.01.2021 को सुरेन्द्र, सुभाष चन्द्र, संदीप कुमार के पक्ष में निष्पादित की गई वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने हेतु सुरेन्द्र ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.07.2021 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर वसीयत के आधार पर जैर अपील भूमि का नामांतरण दर्ज करने हेतु निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक ओमप्रकाश के वारिसान को सुनवाई का नोटिस दिये बिना सीधे ही दैनिक सामाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना जारी कर दी जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध सार्वजनिक सूचना की प्रति से जाहिर है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ओमप्रकाश के विधिक वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की दोनो अपीले स्वीकार की जाकर अपील अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2021 व उक्त आदेश पालना में स्वीकृत इंतकाल संख्या 611 स्वीकृति दिनांक 20.06.2022 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आश्य के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि ओमप्रकाश के समस्त वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल की जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/11/2024 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
(कन्हैया लाल सोनगरा)  
अधीनस्थ न्यायालय, कलवतर  
सूरतगढ (पी. गंगानगर)